कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बांदा

धार्मिक उत्सव के दौरान गिरिजा गेस्ट हाउस के मालिक के पौत्र आलोक राजपूत के अपहरण काण्ड का एस0ओ0जी0 टीम तथा थाना कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सनसनीखेज खुलासा करते हुए अपहृत बालक की सकुशल बरामदगी कर 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तारः–

वादी श्री राकेश राजपूत निवासी– फूटा कुंआ, गायत्री नगर कालूकुआं, थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा ने सूचना दिया कि उसके इकलौते पुत्र आलोक राजपूत का किसी ने दिनांकः 31.10.2020 को अपहरण कर लिया है तथा अपहरणकर्ता द्वारा दिनांकः 01.11.2020 को 10 लाख रूपये की फिरौती की मांग की गयी है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक बांदा श्री सिद्धार्थ शंकर मीना के मार्गदर्शन में श्री महेन्द्र प्रताप सिंह चौहान, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद बांदा के कुशल निर्देशन में निरीक्षक श्री आनन्द कुमार सिंह, प्रभारी एस0ओ0जी0 जनपद बांदा मय हमराह एवं निरीक्षक श्री दिनेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, बांदा मय हमराहिओं के तत्काल संदिग्ध स्थानों पर चेकिंग/दबिश दी गयी। चेकिंग के दौरान जमवारा चौराहा, नरैनी–करतल रोड पर एक संदिग्ध लाल काली रंग की मोटरसाइकिल संख्या– DL 5S AQ 5686 पैशन एक्सप्रो पर सवार 02 लोगों को रोका गया, जिन्होने अपने बीच में कम्बल में 10 वर्षीय बालक को ढककर रखा गया था। बालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम आलोक राजपूत पुत्र श्री राकेश राजपूत निवासी– फूटाकुंआ, गायत्री नगर बांदा बताया। अपहृत बालक के बरामद होने पर दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गयी, तो मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम दीपचन्द्र पुत्र धरमपाल उम्र करीब 26 वर्ष निवासी– बिलगांव, थाना बिसण्डा, जनपद बांदा तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रवीन्द्र कुमार कुशवाहा पुत्र रतन लाल कुशवाहा उम्र करीब 25 वर्ष निवासी– ग्राम रीवन करहिया, थाना मौदहा जनपद हमीरपुर बताया। पूछने पर दीपचन्द्र उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरे पिता के बड़े भाई के लड़के तीरथराम कुशवाहा पुत्र राम कृपाल कुशवाहा निवासी–बिलगांव थाना बिसण्डा, जनपद बांदा, जो कि राकेश राजपूत के घर में 06 वर्ष से किराये पर रहते हैं, ने कहा कि राकेश राजपूत के पास अकूत सम्पत्ति है, उनका इकलौता पुत्र आलोक का अपहरण कर लिया जाय, तो अच्छी खासी फिरौती मिल सकती है। योजनाबद्ध तरीके से मनीष पुत्र तीरथराम कुशवाहा ने टॉफी दिलाने के बहाने से आलोक राजपूत को रोड पर ले आया। वहीं से हमलोग आलोक को मोटरसाइकिल पर बीच में बैठाकर कम्बल ओढ़ाकर ले गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों को विवरणः–

1. दीपचन्द्र पुत्र धरमपाल उम्र करीब 26 वर्ष निवासी– बिलगांव, थाना बिसण्डा, जनपद बांदा
2. रवीन्द्र कुमार कुशवाहा पुत्र रतन लाल कुशवाहा उम्र करीब 25 वर्ष निवासी– ग्राम रीवन करहिया, थाना मौदहा जनपद हमीरपुर
3. तीरथराम कुशवाहा पुत्र राम कृपाल कुशवाहा निवासी–बिलगांव थाना बिसण्डा, जनपद बांदा।
4. मनीष पुत्र तीरथराम कुशवाहा निवासी– बिलगांव, थाना बिसण्डा, बांदा।

बरामदगी का विवरणः–

1–मोटरसाइकिल संख्या– DL 5S AQ 5686 पैशन एक्सप्रो

गिरफ्तार करने वाली टीम का नामः–

1. श्री आनन्द कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक एस0ओ0जी0 बांदा।
2. श्री दिनेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, बांदा।
3. उ0नि0 श्री मयंक चन्देल
4. उ0नि0 श्री कौशल सिंह
5. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह
6. मु0आरक्षी योगेन्द्र सिंह
7. आरक्षी नीतेश समाधिया
8. आरक्षी भूपेन्द्र सिंह
9. आरक्षी प्रभात तिवारी
10. आरक्षी शैलेन्द्र कुमार
11. आरक्षी सागर यादव
12. आरक्षी रवि कुमार शर्मा
13. आरक्षी आशुतोष यादव
14. आरक्षी सत्येन्द्र यादव
15. आरक्षी अजय पासी।